न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10/2015	04/03/2015	25/11/2024

1. जगदीश पुत्रश्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति मेहर नि० ख्यावदा जि०कोटा
2. नार्थ पुत्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति मेहर नि० ख्यावदा
3. शिशशशुपाल पुत्रश्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति मेहर नि. ख्यावदा तहसील श्री पल्दा जिलाकोटा राज.

वादीगण

बनाम

1. सावित्री बेवा मन्नालाल जाति मेहर नि. घाट का बराना तह. इन्द्रगढ़ जि० बूंदी राज
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 80,88 आर. टी. एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके माल ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज मे खाता सं. 520 ख. नं. 1071 की 0.71 है0, व ख. नं. 1072–1541 की 0.90 है। किता 2 की रकबा 1.61 है० आराजी प्रतिवादी कम सावित्रीबाई के पति मन्नालाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल मेहर निवासी ख्यावदा के गैर खातेदारी में दर्ज थी, पृत्तिवादी कृम । सावित्री बाई के पति मन्नालाल की मृत्यु दि. 16. 3. 1988 को हो चुकी है। यह कि वादीगण क्रम 1 ता 3 व प्रतिवादी कम 1 का पति मन्नालाल संगे भाई थे तथा उनके पिता कान्हा की मृत्यु के बाद उनके खाते की आराजी वादीगण क्रम । ता 3 व प्रतिवादी कम 1 के पति मन्नालाल के नाम खाते आई व चारों भाई के 1/4–1/4 हिस्सा भी के पृथक पृथक खाते दर्ज इन्तकाल खोला गया। यह है कि मृतक मन्नालाल के कोई संतान नही थी, तथा उसकी बेवा सावित्री बाई, मन्नालाल की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात ही गिर्राज पुत्र कन्हैयालाल मेहर नि. घाट का बराना तह. इन्द्रगढ़ जि. बूंदी राज. के यहा नाते चली गई और 1991 से घाट के बराने में गिर्राज की पत्नी बन कर रही है और गिर्राज की पत्नी के रूप में घाट के बराना मे निवास कर रही है व उसका नाम गिर्राज की पत्नी के रूप में 1994 की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। यह कि प्रतिवादीनी कम का स्व. मन्नालाल के गैर खातेदारी की आराजी में कोई हक नहीं है, न ही मन्नालाल के कोई संतान थी, तथा मन्नालाल के मरणोपरांत पटवारी हलका ने मन्नालाल के वारिस के रूप मे उपरोक्त आराजी कापोती

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट इटावा जिला कोटा

इन्तकाल से नाम प्रतिवादी क्रम 1 का सावित्री बाई का नाम दर्ज कर दिया है, जब कि सावित्रीबाई ने अन्यत्र जगह नाता विवाह कर लिया है व 24 वर्षों से नाता पति गिर्राज के साथ घाट का बराना रह रही है, इसलिए मन्नालाल के खाते की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 को कोई हक नही है तथा वादी जो मृतक मन्नालाल के वारिस है, अपना नाग मन्नालाल के स्थान पर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है और तीनों भाई वादीगण मन्नालाल के हिस्से व खाते की आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाने के एवं बराबर बराबर हिस्सा लेने के अधिकारी है ।

यह कि वादीगण ने श्रीमान तझीलदार साहब पीपल्दा प्रतिवादी क्रम 2 को कई मर्तबा आग्रह किया कि प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से खारिज किया जाकर उसके स्थान पर मन्नालाल के वारिसान् वादीगण का नाम खाते में दर्ज किये से जाने के लिए कहां तो तहसीलदार साहब पीपल्दा ने कोई गौर नहीं किया और कहां कि अदालत से कार्यवाही करो इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है । अतः वाद पत्र प्रस्तुत करनी श्रीमान से निवेदन है कि खाता नं. 520 मे ख.नं. 1071 की रकबा 0.71 है० व ख.नं. 1072/1541 की 0.90 है० आराजी माल ग्राम ख्यावदा मे प्रतिवादी क्रम 1 सावित्री बाई का नाम गैर खातेदारी खारिज फरमाया जाकर वादी का नाम 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्रीजारी की जावें।
वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये रजि0 ए.डी. से करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादीकम 1 अनुपस्थिति प्रतिवादीकम 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीकम 2 का जवाब सरकार पेश। शामिल पत्रावली है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस में वादी अधिवक्ता में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। माल ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज मे खाता सं. 520 ख. नं. 1071 की 0.71 है0, व ख. नं. 1072/1541 की 0.90 है। किता 2 की रकबा 1.61 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के नाते जाने से उनका विधिक/सम्पति अधिकार समाप्त नहीं होता है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/11/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्लाई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आइ.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10 / 2015	04 / 03 / 2015	25 / 11 / 2024

1. जगदीश पुत्र श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति मेहर नि० ख्यावदा जि०कोटा
2. नार्थ पुत्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति मेहर नि० ख्यावदा
3. शिशशशुपाल पुत्रश्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति मेहर नि. ख्यावदा तहसील श्री पल्दा जिलाकोटा राज.

वादीगण

बनाम

1. सावित्री बेवा मन्नालाल जाति मेहर नि. घाट का बराना तह. इन्द्रगढ़ जि० बूंदी राज
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 80,88 आर. टी. एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री रोहित तिवारी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादी स्वीकार किया जाकर** वाके ग्राम माल ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज मे खाता सं. 520 ख. नं. 1071 की 0.71 है0, व ख. नं. 1072–1541 की 0.90 है। किता 2 की रकबा 1.61 है० आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के नाते जाने से उनका विधिक/सम्पति अधिकार समाप्त नहीं होता है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 25/11/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला इटावा

सहायक कलेक्टर [illegible] कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला [illegible]